रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 691] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 1, 2015/चैत्र 11, 1937
No. 691] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 1, 2015/CHAITRA 11, 1937

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2015

का.आ. 921(अ).— केन्द्रीय सरकार, बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्दीय बीज समिति से परामर्श के पश्चात् यह राय होने कि नीचे की सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट किस्मों के बीजों की क्वालिटी, जो उक्त सारणी के स्तंभ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रकार की है, का विनियमन करना आवश्यक और समीचीन है, यह घोषणा करती है कि बीजों की उक्त किस्में उक्त सारणी के स्तंभ (4) में उल्लिखित राज्यों के लिए कृषि प्रयोजनों के लिए विक्रय किए जाने के लिए अधिसूचित किस्में होंगी और इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से आरंभ में पहले तीन वर्षों के लिए, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सम्पूर्ण भारत के लिए अधिसूचित किस्में होंगी, अर्थात् :—

सारणी

क्र.म. (1)	प्रकार (2)	किस्म (3)	राज्य (4)
1.	चावल	बिना धान 8	पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और असम
2.	चावल	बिना धान 10	पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और असम
3.	चावल	बिना धान 11	पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और असम
4.	चावल	बिना धान 12	पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और असम
5.	चावल	सूखा धान 5	उत्तर प्रदेश और बिहार
6.	चावल	सूखा धान 6	उत्तर प्रदेश और बिहार

[फा. सं. 3-42/2014-एसडी-IV]
राजेश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Co-operation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st April, 2015

S.O. 921(E).— In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Seeds Act, 1966 (54 of 1966), the Central Government after consultation with the Central Seed Committee, is of opinion that it is necessary and expedient to regulate the quality of the seeds of the varieties specified in column (3) of the Table below of the kinds specified in the corresponding entries in column (2) of the said Table, hereby declares that the said varieties of seeds shall be the notified varieties to be sold for purposes of agriculture for the States mentioned in column (4) of the said Table and shall be the notified varieties for the whole of India for the purposes of the said Act, initially for the period of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely:—

TABLE

Sl. No.	Kind	Variety	States
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Rice	Binadhan 8	West Bengal, Tripura and Assam
2.	Rice	Binadhan 10	West Bengal, Tripura and Assam
3.	Rice	Binadhan 11	West Bengal, Tripura and Assam
4.	Rice	Binadhan 12	West Benqal, Tripura and Assam
5.	Rice	Sukhadhan 5	Uttar Pradesh and Bihar
6.	Rice	Sukhadhan 6	Uttar Pradesh and Bihar

[F. No. 3-42/2014-SD.-IV]

RAJESH KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.